



## ● बीआरकेजीबी कृषक वाहन ऋण योजना

1	पात्रता	<p>i. बैंक का के सी सी धारक होना चाहिए।</p> <p>ii. बैंक के सेवा क्षेत्र का निवासी जिसके नाम से कृषि भूमि हो।</p> <p>iii. कृषक जिसके नाम से कम से कम 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो।</p>
2	ऋण सीमा	<p><b>अ. दुपहिया वाहन</b></p> <p>i. वाहन की लागत+ पंजीयन शुल्क+ बीमा प्रीमियम का 80% अधिकतम ₹ 100000/- .</p> <p>ii. आवेदित राशि</p> <p>iii. बिन्दु सं. i से ii में जो भी न्यूनतम हो स्वीकृति योग्य राशि होगी।</p> <p><b>ब. जीप/कार/बहुदेशीय वाहन</b></p> <p>i. वाहन की लागत+पंजीयन शुल्क+बीमा प्रीमियम का 80% अधिकतम ₹ 10,00,000/-</p> <p>ii. आवेदित राशि</p> <p>iv. उपपंजीयन कार्यालय में प्रचलित मूल्यांकन दर के अनुसार कृषि भूमि के मूल्य का 50%</p> <p>v. बिन्दु सं. (i) से (iv) में जो भी कम हो स्वीकृति योग्य राशि होगी।</p>
3	मार्जिन	<p>दुपहिया वाहन— लागत का 20 %न्यूनतम</p> <p>जीप/बहुदेशीय वाहन लागत का 20 %न्यूनतम</p>
4	सेवा प्रभार	समय-समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार।
5	ब्याज दर	समय-समय दर पर बैंक द्वारा निर्धारित दर से छःमाही अन्तराल पर वसूल किया जायेगा।
6	प्रतिभूति	<p>i. कृषि भूमि का बैंक के पक्ष में रहन।</p> <p>ii. उत्तरदिनांकित 10 चैक प्राप्त किये जायेंगे।</p>
7	पुर्नभुगतान	पुर्नभुगतान 10 अर्द्धवार्षिक किश्तों में देय होगा। प्रथम किश्त ऋण वितरण के अगले 6 माह बाद फसल चक्र के अनुसार देय होगी।